भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 638

जिसका उत्तर 28 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

यमुना नदी के जल का बंटवारा

638. श्री अमरा राम:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यमुना नदी के जल के बंटवारे को लेकर केन्द्रीय जल आयोग/विभाग द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों का तिथि-वार ब्यौरा कया है;

(ख) यमुना नदी के जल का राज्य-वार प्रस्तावित हिस्सा, उनको वास्तव में दिया जा रहा हिस्सा और नहीं दिया जा रहा हिस्सा और संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें यमुना नदी के जल का कोई हिस्सा नहीं दिया जा रहा है;

(घ) राजस्थान राज्य को मिलने वाला यमुना नदी के जल का हिस्सा कितना है;

(ङ) राज्य को यमुना नदी के जल का अपना हिस्सा कब तक मिलने की संभावना है तथा इसमें देरी के क्या कारण हैं; और

(च) विगत वर्ष के दौरान जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान और हरियाणा सरकार के जल संसाधन विभागों के बीच किये गए समझौते का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ड.): बेसिन राज्यों नामत: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा यमुना नदी के ओखला तक सतही प्रवाह के आबंटन के संबंध में दिनांक 12.05.1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त समझौता ज्ञापन को कार्यन्वित करने के लिए, इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प संख्या 10 (66)/71-आईटी दिनांक 11 मार्च 1995 द्वारा ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) और ऊपरी यमुना नदी समिति (यूवाईआरसी) का गठन किया गया। वर्ष 2000 में उत्तरांचल राज्य बनने के बाद दिनांक 16.03.2001 की अधिसूचना संख्या 26/3/2000-11 के माध्यम से, बोर्ड में उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) को शामिल किए जाने के लिए, संकल्प को संशोधित किया गया।

यूवाईआरबी ने दिनांक 06.07.2012 को आयोजित अपनी 42वीं बैठक में विभिन्न वितरण स्थलों से प्रवाहों के मौसमी वितरण को अनुमोदित कर दिया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, यमुना नदी का वार्षिक उपयोग-योग्य प्रवाह का अंतरिम मौसमी आबंटन नीचे दर्शाया गया है:

राज्य	**यमुना के जल का मौसमी आवंटन(बीसीएम)**			
	जुलाई - अक्टूबर	**नवम्बर - फरवरी**	**मार्च - जून**	**वार्षिक**
हरियाणा	4.107	0.686	0.937	5.730
उत्तर प्रदेश	3.216	0.343	0.473	4.032
राजस्थान	0.963	0.070	0.086	1.119
हिमाचल प्रदेश	0.190	0.108	0.080	0.378
दिल्ली	0.580	0.068	0.076	0.724
कुल	**9.056**	**1.275**	**1.652**	**11.983**

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य यमुना नदी और इसकी सहायक नदियों पर अनेक छोटी संरचनाओं का निर्माण करते हुए यमुना नदी के सतही जल का प्रत्यक्ष रूप से विपथन करते हुए उसका उपयोग किया जा रहा है। अन्य राज्यों नामत: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए यमुना का पानी हथिनीकुंड, वजीराबाद और ओखला बैराजों से निकाला जाता है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, दिल्ली का पेयजल आवंटन पहले पूरा किया जाता है और शेष जल हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच वितरित किया जाता है। ऊपरी यमुना बेसिन में सभी छह बेसिन राज्यों को यमुना नदी से पानी मिल रहा है, हालांकि, अनुपलब्धता या अंतरण प्रणाली की सीमित क्षमता के कारण, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य जल के अपने पूर्ण आवंटित हिस्से का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।

च): राजस्थान और हरियाणा राज्यों के बीच सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की उपस्थिति में दिनांक 17.02.2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनों राज्य इस बात पर सहमत हुए कि:

(1) परियोजना के चरण-I के अंतर्गत हथिनीकुंड में दिल्ली के हिस्से सहित हरियाणा द्वारा पश्चिमी यमुना नहर की पूर्ण क्षमता (24,000 क्यूसेक) का उपयोग किए जाने के बाद राजस्थान के चुरू, सीकर, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य जिलों के लिए पेयजल आपूर्ति और अन्य आवश्यकताओं के लिए जुलाई से अक्टूबर के दौरान 577 एमसीएम तक भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से जल अंतरण के लिए राजस्थान और हरियाणा सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से एक डीपीआर तैयार की जाएगी और उसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

(2) ऊपरी यमुना बेसिन में तीन चिन्हित भंडारणों नामत: रेणुकाजी, लखवाड़ और किसाऊ के निर्माण के पश्चात्, शेष अवधि के दौरान, हथिनीकुंड में राजस्थान के तदनुरूपी हिस्से को पेयजल और सिंचाई प्रयोजन के लिए, इसी प्रणाली के माध्यम से पानी भेजा जाएगा।

*****